समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015–16

आवेदक : गोपालदास देवानी आत्मज नेवंदराम देवानी, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी– 50, खेवर लाइन माधवनगर कटनी, तह. व जिला कटनी (म.प्र.)

विरूद्ध

अनावेदक : म.प्र. शासन

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता, 1959

आवेदक माननीय न्यायालय के समक्ष यह पुनरीक्षण अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर कटनी द्वारा प्रकरण क्रमांक 59/बी–121/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 05.06.2014 से व्यथित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधार पर प्रस्तुत करता है:–

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि, आवेदक 50, खेवर लाइन माधवनगर कटनी, तह. व जिला कटनी (म.प्र.) का स्थाई निवासी है ।

2. यह कि, ग्राम पड़रवारा, रा.नि.मं. पहाड़ी, प.ह.नं. 44, तहसील व जिला कटनी स्थित भूमि खसरा नंबर 499 रकवा 0.43 हे. राजस्व अभिलेखों में ओमप्रकाश वल्द किरपाल यादव के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी ।

3. यह कि, उक्त प्रश्नाधीन भूमि के राजस्व अभिलेखों में वर्ष 2002 तक ओमप्रकाश वल्द किरपाल यादव का नाम भूमि स्वामी की हैसियत से दर्ज था ।

यह कि, उक्त प्रश्नाधीन भूमि ओमप्रकाश वल्द किरपाल यादव

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3330/एक/.2016 जिला–कटनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18.10.16	यह निगरानी आवेदक द्वारा कलेक्टर, जिला कटनी के प्रकरण क्रमांक 59/बी–121/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 05.06.2014 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि ग्राम पडरवारा रा.नि.म. पहाडी प.ह.न. 44 तहसील व जिला कटनी में स्थित भूमि खसरा नं. 499 रकवा 0.43 है0 भूमि राजस्व अभिलेखो में ओमप्रकाश बल्द किरपाल यादव के नाम दर्ज थी उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में वर्ष 2002 तक ओमप्रकाश बल्द किरपाल यादव के नाम भूमि स्वामी की हैसियत से दर्ज रहीं है। प्रश्नाधीन भूमि पर ओमप्रकाश बल्द किरपाल यादव को भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त होने के उपरान्त राजस्व अभिलेखों में भूमि स्वामी हक में दर्ज किया गया। तथा उसे भू–अधिकार एवं ऋण पुस्तिका जारी की गयी। ओमप्रकाश बल्द किरपाल यादव द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 04.03.2002 से आवेदक गोपाल दास देवानी को विक्रय कर दी गयी। तत्पश्चात् हल्का पटवारी द्वारा एक प्रतिवेदन कलेक्टर जिला कटनी को इस आशय से प्रस्तुत किया कि ग्राम पडरवारा प.ह.नं. 44 स्थित भूमि खसरा नं. 499 रकवा 0.43 है0 भूमि बंदौबस्त अभिलेख के अनुसार ओमप्रकाश बल्द किरपाल शासकीय पट्टे के नाम दर्ज है वर्तमान अभिलेख में उक्त शासकीय पट्टे की भूमि पर गोपाल दास का नाम दर्ज है मिसल बंदौबस्त अभिलेख अनुसार शासकीय पट्टे की भूमि	

अस्तान्तरणीय थी ऐसी स्थिति में उक्त भूमि विक्रय योग्य नहीं है। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही प्रारंभ की जाकर अपर कलेक्टर कटनी द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपने आदेश दिनांक 05.06.2014 से उपरोक्त भूमि म.प्र. शासन शासकीय घोषित किये जाने का आदेश पारित किया है इसी आदेश के विरूद्व आवेदक द्वारा इस न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत की गयी हैं।

3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की उन्हे विधिवत् सूचना नहीं दी गयी है ऐसी स्थिति में उक्त आदेश की सर्वप्रथम जानकारी होने के पश्चात् उनके द्वारा पुनरीक्षण धारा 5 के आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत की गयी है। आवेदन पत्र पर विचार किया एवं आवेदन पत्र सद्भाविक होने से स्वीकार किया जाता है।

5– आवदेक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में बताया कि पूर्व भूमि स्वामी ओमप्रकाश बल्द किरपाल यादव को भूमि पट्टे पर प्राप्त हुयी थी तत्पश्चात् राजस्व अभिलेखो में विधिवत् रूप से भूमि स्वामी दर्ज किया गया था तथा उक्त पट्टे को किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में वर्ष 1987–88 के पूर्व स्वीकृत किये गये पट्टे के आधार पर ओमप्रकाश बल्द किरपाल यादव को भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त हो गये थे और वह उपरोक्त भूमि को विक्रय करने हेतु सक्षम था ऐसी स्थिति में उसे भूमि विक्रय करने की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं थी इस तथ्य पर विचार किये बिना जो आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, वह नितान्त अवैध एवं अनुचित होने से निरस्त किया जाये एवं उसके

द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

6– अनावेदक शासन की ओर से उपस्थित अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से यह निवेदन किया गया है कि उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर कटनी द्वारा विधिवत् रूप से आदेश पारित किया है ऐसी स्थिति में उपरोक्त आदेश को स्थिर रखा जाकर वर्तमान निगरानी निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

7– उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्को एवं उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि का पट्टा ओमप्रकाश बल्द किरपाल यादव को वर्ष 1987–88 में दिया था जिसके पश्चात् राजस्व अभिलेखो में उसका नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज रहा है। ऐसी स्थिति में भूमि विक्रय की अनुमति लिये जाने की आवश्यकता ही नहीं थी। धारा 165 (7–ख) व्याप्ति पट्टेदार पूर्व में भूमि स्वामी हो गया, वह भूमि स्वामी के रूप में अभिलिखित विक्रय की तारीख को भूमि शासकीय पट्टे के रूप में मानने का आदेश अपास्त किया गया। न्यायदृष्टांत के प्रकाश में जो आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, वह स्थिर रखे जाने योग्य नही है।

8– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर कलेक्टर कटनी द्वारा प्रकरण क्रमांक 59/बी–121/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 05.06.2014 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं राजस्व अभिलेखों में आवेदक का नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

सदस्य